Rcms 208/0015/

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेन्द्र गुप्ता , आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या : 12/2018 (प्रार्थना पत्र – रेफरेन्स)

उनवान

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा (प्रार्थी)

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र रामदयाल जाति मेघवाल
2. द्वारकीलाल पुत्र रामदयाल जाति मेघवाल
3. इन्द्राबाई पुत्री रामदयाल जाति मेघवाल
4. केलाबाई पत्नी स्व0 रामदयाल जाति मेघवाल
   निवासी दीगोद तहसील दीगोद जिला कोटा

(अप्रार्थीगण)

उपस्थित :– 1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2. श्री घनश्याम नागर (अभिभाषक अप्रार्थी)

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रकरण

निर्णय दिनांक : 08.11.2019

1. प्रार्थी राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत यह रेफरेन्स प्रकरण इस बाबत प्रस्तुत किया है कि ग्राम दीगोद तहसील दीगोद के गत खसरा नम्बर 1428 रकबा 195 बीघा 4 बिस्वा ग्राम दीगोद तहसील दीगोद का लेण्ड होल्डर है । उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी 2013–2032 में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एंव किस्म गैर मुमकिन तालाव दर्ज थी। उक्त आराजी सम्वत् 2043–62 बन्दोबस्त में हाल ख0 नं0 1458 रकबा 0.16 है0 किस्म नहरी प्रथम दर्ज है एवं रामदयाल पुत्र केसरीलाल जाति मेघवाल निवासी दीगोद तहसील दीगोद के नाम दर्ज हो गई थी। नामा0 सं0 1663 दिनांक 20.09.2004 से विरासत से उपरोक्त गैर खातेदारान के नाम दर्ज है । जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है एंव डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश होने से एंव राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 में उक्त खाता सरकार में दर्ज आराजी वापस भूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या 826 सम्वत् 2071–2074 की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के हित में नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन तालाव पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान किया जाए ।

2. प्रार्थी की ओर से उक्त प्रकार से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जर्ये नोटिस तलबी की गई। अप्रार्थीगण की ओर से श्री घनश्याम नागर एड0 का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में तथ्य अंकित किये गये कि अप्रार्थी गरीब, कमजोर, अनुसूचित जाति का काश्तकार पेशा व्यक्ति है, जो मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहा है । रेफरेन्स मे वर्णित भूमि अप्रार्थी के पिता जी को कदीमी समय पूर्व आवंटन किया गया बाद आवंटन किश्ते जमा कर आवंटन शर्तो की पालना करता चला आ रहा है । जीवन यापन का एक मात्र जरिया वर्णित भूमि ही है । मौके पर हो रहे उपयोग को देख कर सेटलमेन्ट विभाग द्वारा किस्म परिवर्तन कर, सिवाय चक दर्ज किया और बाद मे आवंटन किया गया । सेटलमेन्ट विभाग के कार्य को रेफरेन्स के जर्ये चुनौती प्रदान नही की जा सकती है । सेटलमेन्ट विभाग को मौके की स्थिति के आधार पर किस्म बदलने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है । आवंटन को चुनौती दिये बिना रेफरेन्स चलने योग्य नही है । रेफरेन्स म्याद बाहर होने से चलने योग्य नही है । प्रस्तुत न्यायिक नजीर प्रकरण पर लागू नही होती है । उक्त नजीर वर्ष 2003 की है तथा प्रकरण मे वांछित सहायता 50 वर्ष पुरानी है । अतः रेफरेन्स खारिज करने का निवेदन किया गया ।

4. बहस में प्रार्थी पेरोकार सरकार की ओर से रेफरेन्स के तथ्यों को दोहराया गया तथा रेफरेन्स स्वीकार करने का निवेदन किया गया । अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने भी बहस मे जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया व रेफरेन्स खारिज करने का निवेदन किया गया ।

5. बहस उभय पक्ष की सुनी गई तथा पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया । ग्राम **दीगोद तहसील दीगोद** के गत खसरा नम्बर **1428** हाल खसरा नम्बर **1458** जमाबन्दी सम्वत् **2071 से 2074** तक में खाता नम्बर **826** पर उक्त अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। ग्राम **दीगोद तहसील दीगोद** के उक्त खसरा नम्बरान मुताबिक एकीकरण सेटलमेण्ट खतोनी **2013–2032** में खाता सरकार के खाते में दर्ज थी एंव किस्म गैर मुमकिन **तालाव** दर्ज थी। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित श्रेणी की भूमि के अन्तर्गत आती है । डी0बी0सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 2.8.2004 से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमियों का आंवटन नहीं करने तथा किये गये आवंटन को निरस्त करने के निर्देश दिये गये है । राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी परिपत्र सं0 प010(3) राज0/6/01/पार्ट 17/दिनांक 23.9.2011 के क्रम में उक्त प्रकार दर्ज की आराजी वापस मूल स्वरूप में परिवर्तन करने हेतु प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण अप्रार्थी के नाम हस्तान्तरण खाता संख्या **826** सम्वत् **2071–2074** की प्रविष्टि निरस्त कर उक्त वर्णित आराजी की खातेदारी पूर्वानुसार राज्य सरकार के नाम एंव भूमि की किस्म गैर मुमकिन तालाव पूर्ववत राजकीय खाते में दर्ज करने बाबत तहसीलदार दीगोद द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स श्री मान निबन्धक महो0, राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

(नरेन्द्र गुप्ता)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा, जिला कोटा